

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठाधीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर०ए०ए०ए०

राजस्व अपील संख्या 03/2019

अपीलापक्ष

बनाम

रेस्पॉण्डेंट्स

1. निरिशा कुमार पुत्र जावहराम जाति ओसवाल निवासी सांबौर हाल 23, Bazulaj Road, Thiyagaraya Nager, Chennai, TamilNadu, 600017

2. जावहराम पुत्र प्रतापमल शंजरी जाति ओसवाल निवासी सांबौर हाल 121, Pycrofts Roads Royapettah S.O., Chennai, TamilNadu, 600017

3. शंजुला पत्नी जगदीश कुमार शंजरी जाति ओसवाल निवासी सांबौर हाल Sagar Kunj Chs. Ltd. 3rd Floor, Flat No. 14, Bldg No. 78 Nepean Sea Road, Opp. Regency Hotel, Malber Hill. Mumbai, Maharashtra 400006

4. नरेश कुमार पुत्र जावहराम शंजरी जाति ओसवाल निवासी सांबौर हाल Taravilla 7/1, New Palasia, Near Recovery Hospital, Indore, Madhya Pradesh, 452001

5. मुकेश कुमार पुत्र जावहराम शंजरी जाति ओसवाल निवासी सांबौर हाल 901, Ksheshwala Co-Op HSG Society, Garden view Building 8, A K Mehta Road Opp. Shripal Nager Malabar Hill, Mumbai, Maharashtra 400006

6. विमलादेवी पत्नी मुकेश कुमार शंजरी जाति ओसवाल निवासी सांबौर हाल 901, Ksheshwala



पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी

7. देशमींदी पत्नी विदेश कृमर
Maharashtra 400006
Malabar Hill, Mumbai,
Road Opp. Shripal Nager
view Building 8, A K Mehta
Co-Op HSG Society, Garden
8. जितेन्द्र कृमर पुत्र विदेश कृमर
भंडारी जाति ओसवाल
भंडारी जाति ओसवाल
निवासीगण सांघौर हाल निवासी
4/19, Singaram Street,
Thiyagaraya Nager, Chennai,
TamilNadu, 600017
9. भारती पुत्री विदेश कृमर भंडारी
जाति ओसवाल निवासी सांघौर
हाल aOld No. 176, New No 369
Lloyds Road Gopalpuram,
Chennai, TamilNadu, 600017
10. प्रमीला पुत्री जगतराज भंडारी
पत्नी जगतराज जाति ओसवाल
निवासी सांघौर हाल 22, Sathu
Bidge, 1st Floor, Kakad Wadi, VP
Road, Girgaon, Mumbai,
Maharashtra, 400004
11. अनीला पुत्री जगतराज पत्नी
अशोक कृमर वीरडीया जाति
ओसवाल निवासी सांघौर हाल
45, 4th Cross Gandhi Nagar,
K.G. Road, Bangalore North,
Karnataka, 560009
12. राजस्थान सरकार जायें
तहसीलदार सांघौर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

श्री दीपल मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट

श्री नौरतन चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 से 11

राजस्व अपील प्राधिकारी सरकार, रेस्पॉडेन्ट संख्या 12 की ओर से

प्राणी



राजस्व अपील प्राधिकरण
पृष्ठी

सम्बन्ध सं आर0आर0डी0 1989 पृज 174 सं यह अभिनियमित किया है कि "At the very outset, it may be mentioned that the Larger Bench of the Board in *Pratap Rai v. State of Rajasthan, 1987 RRD 459* has over-ruled the decision of the Single Bench of *Hira Lal v. State of Rajasthan* which has been relied upon by the R.A.A. and has held that appeals under Sections 75 and 76 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 shall lie in matters of land conversion decided under the provisions of Rules, 1981 inspite of provision for revision (which then

आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि भूमि निर्यात की अभी तक पालना नहीं हुई है तथा राजस्व रेकॉर्ड में जैर अपील निर्यात के खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जैर अपील आराजी, जिसके पुराने खसरा नम्बर 623/3 के हाल खसरा नम्बर 2680, 2681 व पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त जैर अपील विवादित का अवसर दिए बिना ही जैर अपील विवादित आराजी के भूमि रूपान्तरण का आदेश न्यायित नहीं था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सह खातेदार को सूनवाई एवं सह खातेदार की विधिक सहमति के किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना इस भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा माना गया है। इस कारण बिना भूमि विभाजन पारित करवाया है, जो विधि विरुद्ध है। विधि अनुसार एक सह खातेदारी भूमि के प्रत्येक धी। जिसका विधिक विभाजन नहीं होने के बावजूद भी रेस्पॉडेन्स द्वारा जैर अपील निर्यात रहा कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पॉडेन्स की सह खातेदारी भूमि अंकित इबारत का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, राजीनामा सं



राजीनामा स्वीकार कराने एवं जैर अपील निर्यात को अपारत कराने का निवेदन किया। अपारत कराने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए अपील को जारिये रेस्पॉडेन्ट अपील द्वारा सं वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते है तथा जैर अपील निर्यात को भावना से अपीलान्ट एवं रेस्पॉडेन्स के मध्य राजीनामा हो चुका है, जिसके कारण समाज के गणमान्य नागरिकों एवं सभी सम्बन्धियों की समझाईश एवं लोक अदालत की रेस्पॉडेन्स संख्या 1 लगायत 11 आपस में रिशतेदार है एवं एक ही परिवार के सदस्य है। उभयपक्ष की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पॉडेन्ट को जारिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब दिनांक 26.06.1997 को अपारत कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर शीनमाल द्वारा प्रकरणा संख्या 706/1996 जगदीश कुमार बरनाम सरकार सं पारित निर्यात अधिनियम 1955 के तहत रेस्पॉडेन्ट के विरुद्ध प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी (अ०क०) अपीलान्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान में राजस्व

-----0-----

दिनांक : 08/02/2019

-- :: निर्यात :: --



राजस्थान अपील प्राधिकारण, पाली
(श्री 0 बजरासिंह चौहान)
258

इस्ताहार कर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आण दिनांक 08/02/2019 को भरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

26.06.1997 को अपारत किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ जगदीश कुमार बनारस सरकार में जमा राशि को समपद्धत करते हुए पारित निर्णय दिनांक जाती है तथा उपखण्ड अधिकाारी (श्री 0) भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 706/1996 परिणाम स्वरूप अपीलानोट द्वारा प्रस्तुत अपील जारिये राजीनामा स्वीकार की

प्रकार की विधिक बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती है।

स्वीकार किया गया है, इस कारण प्रकरण को जारिये राजीनामा निस्तारित करने में किसी पूर्णतः निराकरण हो सके। चूंकि प्रकरण में रेस्पॉडेन्ट द्वारा अपील के तथ्यों को हू-ब-हू को विधिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम माना गया है, जिससे पक्षकाराने के मध्य विवाद का नहीं रहता है। विधि की मंशा अनुसार भी राजीनामा के आधार पर प्रकरण के निस्तारण पक्षकाराने के मध्य राजीनामा हो चुका है, इस कारण प्रकरण में विवाद का कोई विषय शेष तथ्य है कि जैर अपील निर्णय की सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा सक्षम है। चूंकि प्रकरण में the first appeals filed before him." इन न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्विवादित therefore, clearly failed to exercise the jurisdiction vested in him and has illegally dismissed Section 75, Rajasthan Land Revenue Act, 1956. The Revenue Appellate Authority has, the Authorised Officer under Rules, 1981 lay before the Revenue Appellate Authority under existed in those Rules). In view of this the first appeal against the impugned order passed by